

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

राजस्व वाद सं. : 13/2024
अंतर्गत धारा 89 राज. काश्तकारी अधिनियम
बईजलास : सुरेश कुमार, आर. ए. एस.

वादी :-

रामप्रताप पुत्र श्री केसाराम,
जाति जाट, निवासी थांवला, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादी :-

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
- 2- पटवारी हल्का, थांवला


निर्णय

दिनांक : 31/9/24


वादी ने यह वाद बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के विरुद्ध रेकर्ड दुरुस्ती इस आशय का पेश किया ग्राम थांवला की सरहद में खेत खसरा नमबर 109 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 3.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7800 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा की भूमि आई हुई है खतोनी नकल पेश है उक्त भूमि वादी के पिता केसाराम की खातेदारी की थी उनके फौत होने पर बोलता नाम प्रतापराम म्युटेशन में दर्ज कर दिया गया जो महज एक भूल है वादी का वास्तविक नाम रामप्रताप है मगर वादी का नाम नामान्तरण भरते समय भूल वश प्रतापराम दर्ज कर दिया जबकि सभी दस्तावेजात में रामप्रताप दर्ज है जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रतापराम की जगह रामप्रताप दर्ज करना न्याय उचित है इस बाबत वाद पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को तलब किया व प्रतिवादी से जांच रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें पटवारी हल्का एवं भू. रा. निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में वादी का नाम रामप्रताप होना बताया है जिससे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रतापराम के जगह रामप्रताप किया जाना उचित है।

इस प्रकार वादी की तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम प्रतापराम के जगह रामप्रताप किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम थांवला की सरहद में खेत खसरा नमबर 109 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 3.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7800 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादी का नाम प्रतापराम कि जगह रामप्रताप पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी थांवला राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त किया जाता है।


(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

आज दिनांक 31/9/24 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर